उसके आस-पास के राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में नक्सली प्रवेश करते हैं और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ has virtually become a breeding ground for the Naxalite movement. हमने यह मांग की थी कि आप अनेक स्थानों पर खुफिया तंत्र के केन्द्र खोलने जा रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी देश में वह कर भी रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में खुफिया तंत्र का एक केन्द्र कब तक स्थापित होगा?

महोदय, दूसरी बात यह है कि यहाँ आस-पास के सारे प्रांतों से नक्सली हार्ड कोर आते हैं, उन्होंने भी यह माना है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ और यह गुजारिश करता हूँ कि आस-पास के सारे राज्यों से जो नक्सली छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। केन्द्र सरकार उन सारे राज्यों से बात करे। आस-पास के जंगलों में से वे सब वहाँ प्रवेश करते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या निर्मित हो गई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, विशेषकर गृह मंत्रालय से यह मांग करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस केन्द्र को खोलने की घोषणा उन्होंने की है, वह शीघ्रातिशीघ्र करें और वहाँ खुफिया तंत्र का विकास करें।

दूसरी बात यह है कि वहाँ अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में नक्सली प्रवेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हार्ड कोर लोग वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। उस पर सरकार अविलम्ब रोक लगाये ताकि वहाँ पर शांति स्थापित हो और विकास कार्य आसानी से किया जा सके। धन्यवाद।

**Judgement of the Delhi High Court on Section 377 of the IPC**

**प्रो0 राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, एक ऐसे मुद्दे को उठाने की आपने अनुमति दी है, जिसको उठाने में भी मैं लज्जा महसूस कर रहा हूँ। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है-आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की धारा 377 के खिलाफ, इस धारा को अवैध घोषित करते हुए कि यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। यह फैसला भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है। हमारी जो स्थापित परम्पराएँ हैं, वे सब छिन्न-भिन्न हो जाएँगी। इसके अलावा भी जो बहुत सारे कानून हैं- यहाँ पर बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। श्री कपिल सिब्बल साहब हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, सब जानते हैं कि कई कानून हैं, उत्तराधिकार के नियम हैं, मैरिज एक्ट है और जाने क्या-क्या हैं, वे सब प्रभावित होंगे। इन तमाम कानूनी पेचीदगियों के अलावा हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में जिन वर्ण संकरों की बात की थी, वे वर्ण संकर भी इसी तरीके से पैदा होंगे जो सारे सिस्टम को नष्ट कर देंगे। इसमें एक और संकट है और वह यह है कि हमारे यहां जो वृद्ध लोग हैं, मां-बाप हैं, उनमें से 95 प्रतिशत केसेज़ में बच्चे अपने मां-बाप की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है, उनकी वृद्धावस्था के लिए किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इस निर्णय के बाद, यदि आपने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, इस निर्णय को नहीं बदलवाया तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इस देश के वृद्ध लोगों का जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। कल से मैं पढ़ रहा हूं कि इसके कारण कई तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी जिनका इलाज तक संभव नहीं हो सकेगा। अभी हमारे मित्र श्री अहलुवालिया जी बता रहे थे कि टी.वी. पर आ रहा था कि "Jai Ho" में "Jai" की जगह "Gay" कर दिया गया है। आखिर ये देश को कहां ले जाने वाले हैं? लोगों ने टेलीविजन चैनल देखना बंद कर दिया है। जिस तरह के लोग इस जजमेंट के पक्ष में विचार दे रहे हैं, उनकी चाल-ढाल, उनके हाव-भाव, उनके चेहरे-मोहरे देखकर लोगों ने टी.वी. देखना बंद कर दिया है। ये कौन लोग हैं, हम किस आधुनिकता में रह रहे हैं? वैसे तो यह कोर्ट का फैसला है, इस फैसले पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सिब्बल साहब, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप यह जरूर देख

लिया कीजिए कि अति आधुनिक किस्म के लोग अगर हमारी सारी संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने के लिए फैसले देने लगेंगे तो हमारी संस्कृति का क्या होगा? इसलिए इनके बैकग्राउंड को देखकर ही इनका appointment किया कीजिए। मेरी आपसे अपील है कि गवर्नमेंट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, वहां जाए और इस जजमेंट को रिपील कराने की कोशिश करे। धन्यवाद।

**श्री नन्द किशोर यादव** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

**श्री कमाल अख्तर** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

**श्री राम नारायण साहू** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, all men are animals in biology but now it is worse than animals; even animals won't do it.

**Flood situation in Assam**

KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, I wish to draw the attention of this House and the Government to the sufferings of more than two lakhs of people of Dhakuakhana as well as of Dhemaji and North Lakhimpur due to floods. Sir, this flood has occurred due to a breach in the Matmora Dyke which has been under construction. A Malaysian company, FASKAMORE, engaged in the construction of Matmora Dyke, which is the lifeline of the people of Lakhimpur and Dhemaji, has not been executing the project properly. The half-done dyke was washed away by the mighty Brahmaputra river on 30th June, 2009. It is learnt that the D.C., Lakhimpur is going to file an F.I.R. against the company for this type of criminal negligence towards a very important project.

This is a project of about Rs.142 crores for only 6 km. of embankment. The per kilometre cost of the dyke or embankment is Rs.24 crores approximately. The materials used, for the first time in India, is the geo-textile tube. The efficiency of the material *i.e.* the geotextile tube, used in this project is yet to be established in the Brahmaputra river system. It is felt that the Government of India and the Government of Assam, with the help of some technical persons, are playing with the lives of the poor people of the two districts where hundreds of villagers are now on their rooftops due to large scale inundation from the Brahmaputra river due to the failure of the dyke.

My submission before the hon. House is that the Government of India should immediately constitute an expert committee to visit the site and establish the fact of such large scale devastation and it should also establish the efficiency of the material used in such a project. It should be done immediately as the flood season is on. It is a matter of great concern that more than two lakh people of Dhakuakhana as well as of Dhemaji and North Lakhimpur district have